26

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. 99–II/2002 एवं 100–II/2002

1– शिवचरणलाल शर्मा पुत्र श्री ओमकारलाल शर्मा, निवासी– कृष्ण मन्दिर रोड, जौरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

2– मोतीलाल

3– आदित्य कुमार
पुत्रगण श्री बद्री प्रसाद
निवासीगण–ग्राम सतापुर, जिला दतिया(म.प्र.)

4– नीमा विधवा स्व.श्री बद्री प्रसाद, निवासी– ग्राम सीतापुर, जिला दतिया (म.प्र.)

5– शालिगराम (मृत) वारिसान

1–रामकली पत्नी स्व.श्री शालिगराम

2–सियाशरण

3–विष्णु

4–लखन

पुत्रगण स्व.श्री शालिगराम

निवासीगण– ग्राम सीतापुर, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

5–कमला पुत्री स्व.श्री शालिगराम पत्नी स्व. श्री राकेश, निवासी– सोनागिर, जिला दतिया (म.प्र.)

6– द्वारिका प्रसाद

7– कान्ता प्रसाद
पुत्रगण स्व.श्री लक्ष्मी प्रसाद
निवासीगण– कृष्ण मन्दिर रोड, जौरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

8– किशोरीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीप्रसाद, निवासी– कृष्ण मन्दिर रोड, जौरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– महावीर प्रसाद

2– गंगा विसेन
पुत्रगण श्री भोलाराम जैन
निवासीगण–पचबीघा रोड, जौरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

3– बेदूराम पुत्र देवलाल बंसल (मृत)
द्वारा वारिसान–
1–सुरेश, 2–महेश, 3–बृजेश,4–सतीश, 5–कमलेश, 6–मुकेश
पुत्रगण स्व.श्री बेदूराम
निवासीगण–ग्राम बनियापाड़ा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

7– शान्ति मंगल पत्नी श्री ब्रम्हानन्द मंगल पुत्री स्व.श्री बेदूराम, निवासी– बलवंत नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

8– श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री विष्णु अग्रवाल पुत्री स्व. श्री बेदूराम, निवासी– फूलबाग चौराहा, लश्कर, ग्वालियर(म.प्र.)

9– श्रीमती सुनीता पत्नी श्री मोहनलाल गर्ग पुत्र स्व.श्री बेदूराम,

10–श्रीमती उमा गर्ग पत्नी श्री मुकेश चन्द्र गर्ग पुत्र स्व.श्री बेदूराम,

11–श्रीमती निशा बंसल पत्नी श्री दिनेश बंसल पुत्री स्व.श्री बेदूराम

निवासीगण– ग्राम बनियापाड़ा, तहसील जौरा, जिला मुरैना

4– नरोत्तम पुत्र श्री मूलचन्द, निवासी–कृष्ण मन्दिर रोड, जौरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

5– बेदूराम पुत्र देवलाल (मृत)
द्वारा वारिसान किशोरीलाल (मृत)
द्वारा वारिसान–
1–कपूरी विधवा स्व.श्री किशोरीलाल
2–बंदना, 3–नीतू, 4–रचना
पुत्रीगण स्व.श्री किशोरीलाल
5–अमित, 6–सुमित
पुत्रगण स्व.श्री किशोरीलाल

समस्त निवासीगण - ग्राम भोलागली, पचबीघा, तहसील जौरा, जिला मुरैना(म.प्र.)

6- विमल चन्द्र पुत्र निवारेलाल, निवासी- कृष्ण मन्दिर रोड, जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

7- हुकुम चन्द्र पुत्र श्री सोनेराम जैन, निवासी- कृष्ण मन्दिर रोड, जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

8- राजाराम पुत्र श्री सूखाराम, निवासी- कृष्ण मन्दिर रोड, जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

..... प्रतिप्रार्थीगण

श्री एस.के.वाजपेयी, श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के.अवस्थी, अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 2../.3../2016)

इस आदेश के द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन 99-II/2002 एवं 100-II/2012 का निराकरण किया जा रहा है।

इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2002 के द्वारा उपरोक्त पुनर्विलोकन आवेदन सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जा चुके हैं तथा प्रकरण के तथ्यों को व विधिक स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए इस न्यायालय द्वारा निगरानी क्र.279-II/2001 एवं 280-II/2001 शिवचरणलाल आदि एवं महावीर प्रसाद आदि में पारित आदेश दिनांक 01.11.2001 का पुनर्विलोकन किया जाकर आदेश दिनांक 01.11.2001 पुनर्विलोकन में लिया जाता है।

1- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण शिवचरण लाल एवं बद्री प्रसाद के द्वारा इस आशय का प्रस्तुत आवेदन कि वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में उनके नाम की प्रविष्टि अभिलेखों में दर्ज की जाकर वादग्रस्त सम्पत्ति निजी घोषित की जावे एवं नरसिंह मन्दिर, जौरा का लक्ष्मी प्रसाद के फौत हो जाने से उनके पुत्रों को मन्दिर का पुजारी नियुक्त किया जावे, जिसके संबंध में तहसीलदार, जौरा द्वारा समस्त जाँच कर प्रतिवेदन दिनांक 15.09.1989 प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरण क्र.16/84-85 बी-113 में दिनांक 12.10.1989 को आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार मन्दिर की सम्पत्ति

ट्रस्ट पंजी ओकाफ विभाग की प्रविष्टि सन् 1931 के अनुसार एक दुकान व एक मकान जो मानचित्र में लाल स्याही से सीमांकित दर्शाई है, का एकमात्र स्वामित्व पुजारी किशोरीलाल का घोषित किया गया एवं मानचित्र में दर्शाई गई काली स्याही से वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी शिवचरणलाल की निजी सम्पत्ति करार दी गई एवं नीली स्याही से वर्णित सम्पत्ति लक्ष्मी प्रसाद के पुत्रों की निजी सम्पत्ति घोषित की गई।

2– उक्त आदेश के विरुद्ध महावीर प्रसाद व गंगा विसेन एवं बद्री प्रसाद आदि के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष याचिका क्र.2182/90 एवं 2492/89 प्रस्तुत की, साथ ही कलेक्टर मुरैना के समक्ष भी उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम सुनवाई उपरान्त समस्त पक्षकारों को कलेक्टर, मुरैना के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर कलेक्टर द्वारा प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिसके पश्चात् कलेक्टर, मुरैना के समक्ष प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए उक्त आवेदन पर विचार कर कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रकरण क्र.18/95–96/बी–121 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.11.1999 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.10.1989 को प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण की भूमि निजी घोषित करने के संबंध में निरस्त किया गया तथा वादग्रस्त सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति घोषित की गई और लक्ष्मी प्रसाद के वारिसों को ट्रस्टी नियुक्त किए जाने के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

3– उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थीगण व प्रतिप्रार्थीगण द्वारा आयुक्त, चम्बल सम्भाग मुरैना के समक्ष प्रथक–प्रथक अपील प्रस्तुत कीं जो कि प्रकरण क्र.74/99–2000 अपील एवं 88/99–2000 अपील पर पंजीबद्ध की गई एवं आयुक्त महोदय द्वारा उपरोक्त अपीलों का निराकरण दिनांक 30.12.2000 को किया गया, जिसके अनुसार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1999 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12.10.1989 निरस्त किए जाने के आदेश को, स्थिर रखा गया। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी प्रसाद के वारिसों को ट्रस्टी/पुजारी नियुक्त करने के आदेश को भी निरस्त किया गया। जिसके पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा निगरानी क्र.280/II/2001 एवं 279/II/2001 प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.11.2001 के द्वारा उपरोक्त दोनों निगरानी यह उल्लेखित करते हुए निरस्त की गई कि प्रकरण में कार्यवाही सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत् की गई है तथा प्रकरण में पुजारी नियुक्ति का मामला भी अभी अवधारण हेतु उत्पन्न है, जिसके अन्तर्गत इस न्यायालय को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। मेरे द्वारा अब यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या इस न्यायालय को उपरोक्त दोनों निगरानी की सुनवाई किए जाने का क्षेत्राधिकार है। इस संबंध में उल्लेखित करना आवश्यक है। उपरोक्त दोनों पुनर्विलोकन आवेदन आदेश दिनांक 14.03.2002 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा आदेश में वर्णित कारणों से ग्राह्य किए जा चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्रार्थीगण की निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई थीं कि प्रकरण में पुजारी नियुक्ति व कार्यवाही

सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत् की गई हैं, जबकि मूल रूप से की गई कार्यवाहीं सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत् नहीं हैं तथा उपरोक्त निगरानी संहिता की धारा 50 आयुक्त के आदेश दिनांक 30.12.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थीं तथा आयुक्त के समक्ष कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1999 के विरुद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त समस्त कार्यवाही म.प्र. भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत् की गई है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण में म.प्र. भू–राजस्व संहिता के प्रावधान ही आकर्षित होते हैं।

6– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1989 पक्षकारों के मध्य समस्त दस्तावेजों व राजीनामा का अवलोकन उचित पारित किया गया था, जिसमें कलेक्टर, मुरैना एवं आयुक्त, चम्बल सम्भाग मुरैना के द्वारा उक्त आदेश में हस्तक्षेप कर विधिक भूल की है, जबकि प्रतिप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि कलेक्टर एवं आयुक्त महोदय द्वारा उचित रूप से आदेश पारित किया गया है तथा प्रार्थीगण की उपरोक्त दोनों निगरानी भी निरस्त की जा चुकी हैं, जिन्हें पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता।

7– प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.10.1989 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि प्रकरण में उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण शिवनारायण एवं ब्रदी प्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन उस पर विधिवत् मंगाए गए तहसीदार के प्रतिवेदन दिनांक 15.09.1989 एवं पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त सम्पत्ति से संबंधित समस्त सुसंगत दस्तावेज एवं लिखित राजीनामे के आधार पर पारित किया गया तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति के संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन तथा रिकॉर्ड के अनुसार मन्दिर के संरक्षित सम्पत्ति ट्रस्ट पंजी औकाफ विभाग की प्रवृष्टि 1931 के अनुसार एक दुकान व एक मकान जो मानचित्र में लाल स्याही से सीमांकित दर्शाया था, का एकमात्र ट्रस्ट की सम्पत्ति घोषित की गई। इसके अलावा जो प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण के हित में मानचित्र में नीली व काली स्याही से दर्शाई गई निजी सम्पत्तियों को घोषित किया गया, जो कि ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं थी, प्रार्थीगण शिवचरणलाल एवं बदी प्रसाद आदि की निजी सम्पत्ति थी, जिसके संबंध में लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया था।

8– कलेक्टर, मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 12.10.1989 प्रकरण में बिना किसी जाँच व दस्तावेजों का अवलोकन किए, निरस्त किया गया जो कि विधि विपरीत है तथा कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1989 किस प्रकार अनुचित व अवैध है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से समस्त दस्तावेजों एवं पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा एवं पक्षकारों की वादग्रस्त सम्पत्ति

निजी होने के संबंध में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसी प्रकार आयुक्त, मुरैना द्वारा भी कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया तथा पुजारी नियुक्ति के आदेश को भी निरस्त किया गया, लेकिन उपरोक्त के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा भी कोई ऐसा उचित व विधिपूर्वक कारण दर्शित नहीं किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1989 अनुचित व अवैध है।

9– अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1989 के विरुद्ध प्रतिप्रार्थीगण महावीर प्रसाद एवं गंगा विसेन तथा बद्री प्रसाद आदि द्वारा याचिका क्र.2182/1990 एवं 2492/1989 प्रस्तुत की गई, जिसमें रेस्पोंडेंट क्र.1 के रूप में कलेक्टर, रेस्पोंडेंट क्र.9 के रूप में अनुविभागीय अधिकारी तथा रेस्पोंडेंट क्र.10 के रूप में तहसीलदार जौरा को पक्षकार बनाया एवं उसके द्वारा याचिका में अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा उनके दिए गए जवाब को उचित व विधिपूर्वक माना जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन कर उक्त आदेश पारित किया गया। जिसके उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12.10.1989 निरस्त नहीं किया गया।

10– उपरोक्त की गई विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10. 1989 पूर्णतः विधिक रूप से पारित किया गया तथा उक्त आदेश कलेक्टर, मुरैना एवं आयुक्त, चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1999 एवं 30.12.2000 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में विधिक भूल की है। इस प्रकार प्रार्थीगण की पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा निगरानी क्र.279/II/2001 एवं 280/II/2001 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2001 तथा कलेक्टर, मुरैना एवं आयुक्त, चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11. 1999 एवं 30.12.2000 निरस्त किए जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1989 की पुष्टि की जाकर स्थिर रखा जाता है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर